



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/स.अभि./वि.चौ./एपीओ/18/3708

जयपुर, दिनांक :- 16.8.18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/स.अ./अधि.अभि./रिव्यु/2017/772 दिनांक 6.2.18 द्वारा श्री विजय प्रकाश चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, आहौर (जालौर) को कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया था । उक्त आदेश की अनुपालना में इन्होंने पंचायत समिति, आहौर (जालौर) में ही सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के पद पर कार्यग्रहण किया गया ।

अतः श्री विजय प्रकाश चौधरी, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, आहौर (जालौर) को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति उपरान्त पंचायत समिति, गडरारोड (बाडमेर) में सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के पद पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है ।

श्री चौधरी वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से भिजवायेंगे ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( दिनेश कुमार जांगिड )

संयुक्त शासन सचिव एवं

संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक 4449 दिनांक 14.8.18 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलैक्टर, जालौर/बाडमेर ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर/बाडमेर ।

P.T.O.

6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आहोर (जालौर) एवं गडरारोड (बाडमेर) ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री विजय प्रकाश चौधरी, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, आहोर (जालौर) को पालनार्थ ।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली ।



संयुक्त शासन सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त